न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – कपूर शंकर मान आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 027/2019 (RCMS 2019/00106)	दायर दिनांक 13.06.2019	निर्णय दिनांक 25.06.2019

अनवान

1. मु0 प्रेमबाई पति रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हरनाथपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हरिराम पिता भैरूलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. श्री भैरू पिता प्यारा जाति माली आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
3. श्री किशन पिता मांगु जाति माली आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
4. श्री देवकिशन पिता सवाईराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
5. श्री लियाकत पिता आसीन्द जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
6. श्री रजाक पिता इदुशाह जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
7. श्री सदीक मोहम्मद पिता इदुशाह जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
8. श्री ईशाक पिता जाति इदुशाह जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री आर एल शर्मा प्रार्थी।
एक तरफा अप्रार्थीगण।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू–राजस्व अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना–पत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राशमी पटवार हल्का राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी

संवत् 2071–74 के खाता संख्या 287 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2041,2042 कुल किता 02 रकबा 12.09 बीघा–बिस्वा लगानी 8.71 रूपये भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है और अप्रार्थीगण अराजियात जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जा कर मौके पर स्थाई सीमा–चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 25.06.2019 को अप्रार्थीगण को नोटिस तामील होने के बावजूद हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस एक तरफा हेतु निवेदन किया जाकर प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र को एक तरफा सुना गया। पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थी संख्या 1 आराजियात जैर बहस के खातेदार काश्तकार हो कर इन्हें आराजीयात जैर–बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम मे प्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमाज्ञान कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 111,128 राज0भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राशमी को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक के जरिये तहसीलदार राशमी आदेश दिया जाता है कि मौजा बावलास पटवार हल्का राशमी पटवार हल्का राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की जमाबंदी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 287 में अभिलिखित आराजीयात आराजी संख्या 2041,2042 कुल किता 02 रकबा 12.09 बीघा–बिस्वा लगानी 8.71 कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार मौके पर फसल खडी ना हो तो नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावें। तहसीलदार राशमी को तहरीर जारी करे।

पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक को 25.06.2019 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कपूर शंकर मान)
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता 5-08(27)2019/25.06.2019 दिनांक 25 जून, 2019

निमित,

भू-अभिलेख निरीक्षक,
वृत्त **राशमी**
जरिये तहसीलदार,राशमी

विषय :- बाबत् पत्थरगढ़ी।

अनवान

1. मु0 प्रेमबाई पति रतनलाल जाति जाट आयु वयस्क निवासी हरनाथपुरा तसहील राशमी जिला चित्तौडगढ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री हरिराम पिता भैरूलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. श्री भैरू पिता प्यारा जाति माली आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
3. श्री किशन पिता मांगु जाति माली आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
4. श्री देवकिशन पिता सवाईराम जाति जाट आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
5. श्री लियाकत पिता आसीन्द जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
6. श्री रजाक पिता इदुशाह जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
7. श्री सदीक मोहम्मद पिता इदुशाह जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।
8. श्री ईशाक पिता जाति इदुशाह जाति मुसलमान आयु वयस्क निवासी राशमी जिला चित्तौडगढ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संख्या :- 027/2019

-:: प्रार्थना पत्र बाबत् कराये जाने पत्थरगढ़ी ::-

उपरोक्त अनवान से संबंधित प्रकरण में आपको आदेशित किया जाता है कि मौजा मौजा **राशमी** पटवार हल्का **राशमी** तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ की आराजीयात आराजी संख्या 2041,2042 कुल किता 02 रकबा 12.09 बीघा-बिस्वा कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में बन्दोबस्ती नक्शे अनुसारमौके पर फसल खडी ना हो तो नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन(पत्थरगढी) से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सीमांकन हेतु निर्धारित राजकीय शुल्क प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर राजकोष में जमा कराया जावें।

(कपूर शंकर मान)
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official